भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा– 282007 द्वारा आगरा– इटावा सैक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद वाईपास के निर्माण हेतु प्रस्तुत लोक पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव के क्रम में जनपद मैनपुरी के राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के कि0मी0 288.000 से कि0मी0 292.000 हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मैनपुरी द्वारा नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.12 को क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान (टी0ई0पी0 सेन्टर) सभागार (ब्लाक आफिस परिसर) मैनपुरी में सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

आगरा– इटावा सैक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद वाईपास के निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा द्वारा जनपद– मैनपुरी के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के कि0मी0 288.000 से कि0मी0 292.000 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 (यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के तहत लोक सुनवाई जिलाधिकारी महोदय, मैनपुरी द्वारा नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान (टी0ई0पी0 सेन्टर) सभागार (ब्लाक आफिस परिसर) मैनपुरी में दिनांक 15.03.12 को प्रातः 11 बजे प्रारम्भ हुयी। लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गयी।

1. सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा लोक सुनवाई पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण/ विस्तारीकरण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव लोक सुनवाई प्रकिया के अर्न्तगत आच्छादित है।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार लोक सुनवाई के सम्बन्ध में विज्ञप्ति उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 09.02.2012 को दैनिक समाचर पत्रों दैनिक हिन्दुस्तान एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित की गयी थी तथा आक्षेप/ सुझाव / आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किए गये थे। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप/ सुझाव / आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है।
3. लोक सुनवाई की कार्यवाही को आगे बढाते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा के सलाहकार प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार गौतम, एनवायरमेन्ट कन्सलटेन्ट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश ड़ाला गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा– इटावा सैक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के अर्न्तगत जनपद– मैनपुरी के कि0मी0 288.000 से कि0मी0 292.000 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी निर्माण कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। जनपद मैनपुरी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के कि0मी0 288.000 से कि0मी0 292.000 (कुल लम्बाई 04

कमशः ....2...

कि0मी0) के अर्न्तगत कि0मी0 288.000 से कि0मी0 292.000 (ग्राम नौरमई से ग्राम मीठेपुर तक) राष्ट्रिय राजमार्ग–2 का छः लेन सड़क चौड़ी करण किया जाना प्रस्तावित है उक्त सेक्सन के अर्न्तगत आर0 ओ0 डब्ल्यू, 05 कलवर्ट, 02 पैदल / पशुपार पथ (अण्डर पास), 05 छोटे मिलान स्थल (जक्शंन), 2 बस वे एवं 02 स्थानों पर 01.200 कि0मी0 लम्बाई का सर्विस रोड वांयी एवं दांयी तरफ आदि का निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू0 953.3 करोड़ है जबकि मैनपुरी जिले के अर्न्तगत निर्माण कार्य (सिविल) पर अनुमानित लागत रू0 30.80 करोड़ है। उक्त के अतिरिक्त पर्यावरण प्रबन्धन हेतु कुल परियोजना पर रू0 6.6 करोड़ के बजट का प्राविधान है जिसमें मैनपुरी जिले के लिए रू0 0.5 करोड़ के बजट का प्राविधान है। जनपद मैनपुरी के अर्न्तगत कुल 3.7076 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। अधिग्रहित भूमि के लिए उपयुक्त मुआवजा नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है।

4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग – 2 के छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण / सुदृढ़ीकरण के दौरान जनपद मैनपुरी में लगभग **75** वृक्ष प्रभावित होना अवगत कराया गया जिसके अर्न्तगत नीम, नीलगिरी, बबूल आदि है। यह भी अवगत कराया गया कि कम से कम वृक्षों को काटा जाना प्रावधानित है। आवश्यकतानुसार काटे गये वृक्षों के सापेक्ष सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाऐगा। सड़को के किनारे सुन्दर बनाने, तिराहो–चौराहो एवं पार्किंग क्षेत्रों में सुधार करने, बॉरो एरिया में वृक्षारोपण करने समस्त सम्बन्धित विभागों से अनुमतियॉ प्राप्त करने को प्रावधानित किया गया है।

5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग – 2 के छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण / सुदृढ़ीकरण के दौरान सुरक्षा उपायों, संकेतकों आदि का प्राविधान है। उक्त परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान निम्नलिखित प्रकार की समस्यायें आने एवं उनके निराकरण सम्बन्धी निम्नलिखित प्राविधान किये गये है।

क. **जल पर्यावरण एवं प्रदूषण** :– प्रस्तावित परियोजना को जल श्रोत के कम में मैदानी क्षेत्र, एल्यूवियम, समतल, पैनीसुला क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। जल के प्रमुख श्रोत नदी, नहर, तालाब एवं हैण्ड पम्प है। राजकीय राजमार्ग के उच्चीकरण /सुदृढ़ीकरण के दौरान जल की आवश्यकता होगी। परियोजना निर्माण के दौरान पुल, सेतुबन्ध आदि का काम पानी के सीधे बहाव में नहीं किया जाना प्रस्तावित है। जल प्रयोग से जिस जगह पर भू जल प्रभावित हो रहा है वहॉ के निवासियों के लिए वैकल्पिक पानी की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव के कारण सरफेस जल एवं भूमिगत जल पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ना सम्भावित नहीं है।

ख. **वायु पर्यावरण एवं प्रदूषण** :– परियोजना के निर्माण प्रकिया के दौरान उपकरण व वाहनों के आवागमन, निर्माण के दौरान धूल की उत्पत्ति ही वायु प्रदूषण के श्रोत है। उपरोक्त वायु प्रदूषण श्रोतो से उत्पन्न धूल की रोकथाम हेतु निर्माण कार्यक्षेत्र को यथा सम्भव नम रखे जाने, पानी का छिड़काव किये जाने, निर्माण सामग्री को ले जाते समय ट्रक, टारपोलिन या अन्य किसी उपयुक्त सामग्री से कवर किए जाने, पी0यू0सी0 सर्टिफिकेट वाले वाहनों का प्रयोग किए जाने तथा हाट मिक्स एवं जनरेटर की स्थापना राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही स्थापित करने का प्राविधान है। उक्त के अतिरिक्त यथा सम्भव परिवेशीय वायु गुणता को नियन्त्रित करने हेतु परियोजना के आस–पास वृक्षारोपण करने, वाहनों का संचालन मानकों के अनुरूप कराने एवं अन्य उपायों को किये जाने का प्राविधान है। अतः उक्त परियोजना से प्रदूषण नगण्य होगा।

कमशः ....3...

ग. **मृदा प्रदूषण** :– परियोजना के निर्माण प्रक्रिया के दौरान मृदा प्रदूषण की सम्भावना नगण्य होगा।

घ. **ध्वनि प्रदूषण** :– वाहनों के आवागमन, निर्माण मशीनरी, कान्क्रीट एवं डावर प्लाण्ट एवं जनरेटर आदि उपकरणों के संचालन से ध्वनि प्रदूषण होना सम्भावित है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु डी0जी0 सेट को एकास्टिक के साथ लगाया जाना प्रस्तावित है तथा अन्य उपकरणों का संचालन एवं वाहनों का रख रखाव इस प्रकार से किया जाना प्रस्तावित है कि ध्वनि स्तर मानकों के अनुरूप रहेगा। निर्माण कार्य में लगे वाहनों एवं उपकरणों में एक्जास्ट साइलेन्सर लगाना, आबादी क्षेत्र में निर्माण कार्य रात 10 से सुबह 6 बजे तक बन्द रखना, कार्यरत कार्मिकों को ईयर प्लग उपलब्ध कराना, चुनिन्दा स्थानों पर ध्वनि बैरियर लगाना, संवेदनशील स्थानों पर सिग्नल लगाना, शान्त क्षेत्रों में हार्न का प्रयोग प्रतिबन्धित किए जाने आदि का प्राविधान है। अतः ध्वनि प्रदूषण नगण्य होगा।

ड़ **सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण** :– परियोजना के निर्माण प्रक्रिया के दौरान जनपद मैनपुरी में 3.7076 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। जनपद मैनपुरी के अर्न्तगत प्रभावित होने वाले 89 निजी संरचना / परिवार प्रभावित हो सकते है। अधिग्रहित भूमि के लिए उपयुक्त मुआवजा नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है। उपजाऊ मिट्टी एवं कृषि क्षेत्र का प्रयोग, कैम्प, स्टाक, यार्ड एवं गोदाम आदि बनाने हेतु नहीं किया जाएगा। भू क्षरण रोकने हेतु मिट्टी का ढाल के रूप रखना, एम्बैकमेण्ट स्लोप में टर्फिगं करना, बॉरो एरिया का उपयोग वृक्षारोपण करने का प्राविधान, वर्कशाप, ईधन / लुब्रीकण्ट भण्डारण, लेबर कैम्प को आबादी क्षेत्र से बाहर रखने आदि का प्राविधान रखा गया है। सड़क निर्माण में खोदी गयी चट्टान व अन्य सालिड वेस्ट के रूप में प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल निचली सतह भरने आदि में प्रयोग किया जाना प्रावधानित है। पर्यावरण प्रबन्धन के सम्बन्ध में मानकों के अनुरूप समय – समय पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त परियोजना से बेहतर परिचालन समस्त क्षेत्रों में पहॅुच के साथ–साथ आस पास के क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होगी।

उक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के दौरान आस–पास प्रस्तावित परियोजना में पारिस्थितिकी पर्यावरण के बचाव हेतु चारों तरफ हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। जिससे प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उपरोक्त परियोजना से बेहतर परिचालन समस्त क्षेत्रों में पहॅुच के साथ–साथ आस पास के क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होगी।

अन्त में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा के प्रतिनिधियों द्वारा लोक सुनवाई में प्रतिभाग कर रहे जन समुदाय द्वारा उक्त परियोजना की स्थापना से आस–पास के विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के ऊपर पड़ने वाले अधि प्रभावों के सम्बन्ध में उठाये गयं प्रश्नों / समस्याओं के निराकरण हेतु परियोजना में प्रस्तावित व्यवस्थाओं इत्यादि के बारे में उत्तर दिया गया जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

प्र0 1 श्री अर्जुन सिंह, प्रधान ग्राम सभा नौरमई, मैनपुरी द्वारा जानकारी चाही गयी कि पूर्व में 4 लेन निर्माण के समय एन0एच0ए0आई0 द्वारा लिंक रोड को मिलाया नहीं गया है, उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वार अवगत कराया गया कि लिंक रोड के जंक्शन को हाई वे निर्माण के दौरान जंक्शन प्वाइंट बनाया जाना परियोजना में प्राविधानित है।

क्रमशः ....4...

प्र0 2 श्री गंगेश शर्मा, मीठेपुर, मैनपुरी द्वारा जानकारी चाही गयी कि हाई वे निर्माण के दौरान धूल आदि उड़ती है उसे रोकने की क्या व्यवस्था की जाएगी।

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि हाई वे निर्माण के दौरान धूल आदि उड़ती है उसे रोकने हेतु जल छिड़काव आदि की व्यवस्था किया जाना प्राविधानित है।

प्र0 3 श्री अर्जुन सिंह, प्रधान ग्राम सभा नौरमई, मैनपुरी द्वारा जानकारी चाही गयी कि सर्विस रोड पर एक्सीडेन्ट आदि हाने पर हाई वे द्वारा कम्पन्सेसन दिये जाने के सम्बन्ध में क्या प्राविधान है ?

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि हाई वे पर एक्सीडेन्ट के सम्बन्ध में कम्पन्सेसन दिये जाने हेतु एन0एच0ए0आई0 द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। हाई वे पर एक्सीडेन्ट के समय त्वरित सहायता हेतु एम्बुलेन्स की व्यवस्था उपलब्ध रहती है जिससे जान – माल का कम से कम नुकसान हो।

प्र0 4 श्री अल्पेश कुमार, कुसमरा, मैनपुरी द्वारा जानकारी चाही गयी कि हाई वे निर्माण के समय काटे गये पेड़ो से पर्यावरण पर प्रभाव पडता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या व्यवस्था है ?

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि हाई वे निर्माण के दौरान काटे गये वृक्षो के सापेक्ष तीन गुना वृक्षारोपण किया जाना एवं उसकी देखभाल किया जाना प्राविधानित है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अन्त में अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय, मैनपुरी द्वारा उपस्थित जन समूह के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

15/3/12

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

(देबेन्द्र सिंह कुशवाहा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा– 282007 द्वारा आगरा– इटावा सैक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद वाईपास के निर्माण हेतु प्रस्तुत लोक पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव के कम में जनपद मैनपुरी के राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के कि0मी0 288.000 से कि0मी0 292.000 हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मैनपुरी द्वारा नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.12 को क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान (टी0ई0पी0 सेन्टर) सभागार (ब्लाक आफिस परिसर) मैनपुरी में सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई की उपस्थिति।

क0सं0	नाम एवं पद	पता	हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र सिंह कुशवाह	ADM. मैनपुरी	[signature]
2	राजेन्द्र प्रसाद Ro	UP Pollution Control Board Firozabad.	[signature]
3	एस. बी. सिंह	प्रबंधक (तकनी), एन. एच. ए. आई	[signature]
4	गीतेश चन्द्रा Aso	UP Pollution Control Board	[signature]
5	एल0 के0 जैन	"	[signature]
6	एच0 सी0	"	[signature]
7	पंकज कुमार	"	Pankaj
8	आलोककुमार	कुसमरा रोड मैनपुरी	आलोककुमार
9	Rahul Kumar	Kusmara Mainpuri	[signature]
10	Alkesh Kumar	Kusmara Mainpuri	[signature]
11	Sarvjeet Singh	Kusmara Mainpuri	[signature]
12	Rahul Pandey	Kusmara Mainpuri	Rahul
13	SHASHIKANT DUBEY	Kusmara mainpuri	[signature]
14	DALVIR SINGH	Mithepur	Dalvir Singh
15	Vikash Rajput	Mithepur	[signature]
16	Raju Yadav	Mithepur	[signature]
17	Satvir Singh	Mithepur	[signature]
18	Arbind Rajpoot	Methepur	[signature]
19	Vibhor Ojha	Methepur	[signature]
20	Abhishek Bhadauriya	Methepur	[signature]
21	Raj Yadav	Methepur	Raj
22	Narendra Yadav	methepur	[signature]
23	Pankaj yadav	methe Pur	Pankaj
24	Ankit Rajput	Nagala Pagava	Ankit
25	Vivek kumar	Mainpuri	Vivek
26	Kushlendra Singh	Naurmai	[signature]
27	vinay Singh	Naurmai	[signature]
28	Havaldar Singh	Naurmai	
29	[signature]	Naurmai	[signature]
30	Ravindar Singh	Madan Singh Naurmai	Singh
31	Rahul Kumar	Naurmai	[signature]
32	Arjun Singh AD	Naurmai	[signature]
33	Manoj Kumar	Awas Vikas Colloni	Manoj
34	Anupam kumar	Awas Vikas Colloni	[signature]

35	शिवकुमार	ग्राम कठौली पोस्ट करहल मैनपुरी	Shivkuar
36	ललित कुमार	भोजपुरा	Lalit kumar
37	प्रदीप कुमार	मैनपुरी	[illegible]
38	छुम्मन लाल	करहल	[illegible]
39	इन्द्रजीत सिंह	[illegible]	इन्द्रजीत सिंह
40	विपिन कुमार	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42	धर्मेन्द्र सिंह	[illegible]	
43	Harendra kumar	LBG, Gurgaon	[illegible]
44	Ram singh	Mainpuri	Rs
45	[illegible]	Consultant	[illegible]
46	Ranjan Prakash	LBG, Gurgaon	R prakash
47	अशोक कुमार	UPPCB Fzd.	[illegible]